Annexure – XIX

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

सत्यमेव जयते

उत्तरांचल सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779
फैक्स :
ई–मेल : rs_tolia@rediffmail.com

पत्रांक : 74 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक : 20 दिसम्बर 2005

1. **प्रमुख सचिव, वित्त**
2. **प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन**
3. **सचिव सूचना**

श्री एम.एल. कैन्नौजिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में दो प्रमुख व्यावहारिक कठिनाईयों की ओर ध्यानाकर्षण कराया गया है. संलग्न पत्र में जो दो कठिनाईयां अवगत करायी गई हैं.

2. उसमें पहली व्यवहारिक कठिनाई के संबंध में प्रमुख सचिव वित्त को आयोग द्वारा पहले ही अलग से भी संदर्भ किया गया है. इस अवधि में 9 से 16 दिसम्बर 2005 तक मेरे द्वारा कुमायूं क्षेत्र के विभिन्न जनपदों का भ्रमण करके उसकी जानकारी भी प्राप्त की गई है.

3. प्रमुख सचिव वित्त तथा वित्त विभाग के स्तर पर इसे अविलम्ब सुनिश्चित किया जाना जनहित में होगा कि ट्रेजरी फार्म नं. 385, को तात्कालिक रूप से बड़ी संख्या में मुद्रित करके 55 विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक विभाग के सूचना अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिया जाय. लोक सूचना अधिकारियों के साथ–साथ बड़े विभागों में सहायक लोक सूचना अधिकारियों को भी यह रसीद बहियां उपलब्ध करायी जानी उचित होगी.

4. वर्तमान में फार्म 385 जिस रूप में मुद्रित किया जा रहा है वह भी व्यावहारिक नहीं है. सर्वप्रथम इसका सरलीकरण किया जाय और उसे हिन्दी में छापा जाय. ट्रेजरी फार्म 385 के अतिरिक्त वन विभाग के द्वारा ई –3 फार्म को भी केवल वन विभाग के लिए अनुमन्य कर दिया जाय क्यों कि इसका स्वरूप भी ट्रेजरी फार्म 385 जैसा है और उसमें जमा धनराशि भी ट्रेजरी में ही जमा की जाती है.

5. विभिन्न विभागों द्वारा राज्य सरकार स्तर पर अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है और यह एक व्यवहारिक कड़िनाई अवश्य उत्पन्न कर रहा है. सचिवालय में सामान्य व्यक्ति को प्रवेश मिलने में कठिनाई अवश्य उत्पन्न होती है. अतः उपरोक्त समस्या के लिए विभिन्न विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए.

6. एक विकल्प यह हो सकता है कि संबंधित विभाग के निदेशालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित कर दिया जाय जो निदेशालय से ही सचिवालय स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकेगा और सचिवालय में प्रवेश करने की आवश्यकता ही नही पड़ेगी. ज्ञातव्य है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी भी लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रार्थना प्राप्त कर अग्रसारित कर सकते हैं. यही कठिनाई विभागीय अपीलीय

अधिकारियों के, जो सचिवालय में बैठते हैं, के संबंध में भी उपस्थित होगी. अतः विभागीय अपीलीय अधिकारियों को अपील प्रस्तुत करने के लिए भी सहायक लोक सूचना अधिकारी को निदेशालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर नामित कर दिया जाय. ज्ञातव्य है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी भी विभागीय प्रथम अपील को प्राप्त करके उसे विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं.

7. उपरोक्त दोनों प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और इनका सीधा प्रभाव सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को व्यावहारिक रूप से उपादेय बनाने से संबंधित है अतः यह अपेक्षा की जाती है कि इन दोनों बिन्दुओं पर क्रमशः वित्त विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग और सूचना विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए आयोग को भी कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय.

8. सचिवालय के स्वागत कक्ष में भी यह नोटिस लगाई जानी उचित होगी कि जो प्रार्थी सचिवालय स्थित लोक सूवना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर केवल उक्त कार्य के लिए वरीयता के आधार पर प्रवेश पत्र दे दिया जाय. एक अन्य विकल्प यह भी हो सकता है कि स्वागत कक्ष के वरिष्ठतम अधिकारियों को भी सचिवालय स्थित समस्त लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों को क्रमशः प्रार्थना पत्र और अपील प्रस्तुत करने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित कर दिया जाय और ऐसे अधिकारियों की ड्यूटी उस पूरे समय तक क्रमवार आवंटित कर दी जाय जिस अवधि में सचिवालय खुला रहता है. यदि उक्त अवधि में दो–तीन स्वागत अधिकारी तैनात रहते हैं तो ऐसे सभी अधिकारियों को भी सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित करते हुए उनके माध्यम से भी सचिवालय में प्रवेश की कठिनाई को कम किया जा सकता है और उनके माध्यम से प्रार्थना पत्रों / अपीलों की प्राप्ति स्वीकार करते हुए उसे संबंधित लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है.

9. सूचना विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग और वित्त विभाग से आयोग अपेक्षा करेगा कि कृपया संलग्न प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर, इस पत्र में दिये गये सुझावों के अनुसार, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करें और कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत भी कराया जाये.

10. श्री कन्नौजिया को भी उनके सुझावों के क्रम में आयोग द्वारा शासन को दिये गये सुझावों की प्रति पृष्ठांकित की जा रही है.

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि.

(आर. एस. टोलिया)

प्रतिलिपि

श्री एम.एल. कन्नौजिया, आवास संख्या 473, इन्दिरा नगर कालोनी, पोस्ट आफिस न्यू फारेस्ट, देहरादून को उनके पत्र संख्या एम.एल.के. 3 दिनांक 8.12.2005 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित.

(आर.एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त